विविध बैंक प्रकरण संख्या 35/2022(GCMS : 2022/55) पंजाब नेशनल बैंक जरिये श्री निशान्त खुराना, प्राधिकृत अधिकारी/मुख्य प्रबन्धक, कार्यालय SASTRA केन्द्र प्रथम तल, मण्डल कार्यालय, नजदीक मीरा चौक, श्रीगंगानगर (राज.) बनाम 1. गुरदीप सिंह पुत्र श्री महेन्द्र सिंह निवासी मकान नं. 519, गांधी बस्ती, वार्ड नं. 4/11, नजदीक कमला गोदारा मकान, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर 2. स्व. श्री महेंद्र सिंह (मृतक) पुत्र श्री करतार सिंह, निवासी मकान नं. 519, गांधी बस्ती, वार्ड नं 4/11, नजदीक कमला गोदारा मकान, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर 3. नन्द किशोर पुत्र बहादुर राम निवासी वार्ड नं 14, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर 4. महेंद्र सिंह (मृतक) के उत्तराधिकारीगण 1. श्री गुरदीप सिंह पुत्र स्व. श्री महेन्द्र सिंह 2. श्री बिन्द्र सिंह पुत्र स्व. श्री महेन्द्र सिंह निवासी मकान नं. 519, गांधी बस्ती, वार्ड नं 4/11, नजदीक कमला गोदारा मकान, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

10.07.2023

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता श्री भारत भूषण महेन्द्रा उपस्थित हुए और प्रार्थी बैंक की ओर से नॉट प्रेस किये जाने का प्रार्थना पत्र पेश किया हुआ है। प्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक ने अप्रार्थीगण **गुरदीप सिंह, स्व. श्री महेन्द्र सिंह (मृतक), नन्द किशोर एवं महेन्द्र सिंह (मृतक) के उत्तराधिकारीगण – गुरदीप सिंह एवं बिन्द्र सिंह** द्वारा बैंक के ऋण का भुगतान न किये जाने के कारण उनके द्वारा बैंक ऋण की सुरक्षा की एवज में **अप्रार्थी महेन्द्र सिंह (मृतक) पुत्र श्री करतार सिंह (वास्तविक मालिक) के उत्तराधिकारीगण से सम्बन्धित आवासीय संपत्ति मकान नं. 519 (भाग) (उत्तर मुखी), गांधी बस्ती (क्षेत्रफल 26′ गुणा 18′6″फुट) वार्ड नं. 11 (पुराना वार्ड नं. 4) नजदीक महिला पार्क, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर का** भौतिक कब्जा प्राप्त करने के लिए धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र दिनांक 19.02.2022 को प्रस्तुत कर रखा है और अब चूंकि अप्रार्थीगण ऋणियों द्वारा प्रार्थी बैंक की बकाया समस्त राशि जमा करवा दी है इसलिए प्रार्थी बैंक ऋणियों के विरूद्ध इस प्रकरण में किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं चाहता है **अर्थात नॉट प्रेस करता है और** यदि प्रकरण को इसी स्टेज पर कार्रवाई समाप्त कर दी जाती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.07.21 17:26:08 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

मैने, उक्त तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि दिनांक 19.02.2022 को एक प्रार्थना पत्र प्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक द्वारा धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण **गुरदीप सिंह, स्व. श्री महेन्द्र सिंह (मृतक), नन्द किशोर एवं महेन्द्र सिंह (मृतक) के उत्तराधिकारीगण – गुरदीप सिंह एवं बिन्द्र सिंह** के विरूद्ध पेश कर ऋण की सुरक्षा की एवज में **अप्रार्थी महेन्द्र सिंह (मृतक) पुत्र श्री करतार सिंह (वास्तविक मालिक) के उत्तराधिकारीगण से सम्बन्धित आवासीय संपत्ति मकान नं. 519 (भाग) (उत्तर मुखी), गांधी बस्ती (क्षेत्रफल 26' गुणा 18'6"फुट) वार्ड नं. 11 (पुराना वार्ड नं. 4) नजदीक महिला पार्क, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर** का भौतिक कब्जा दिलवाने के लिए प्रस्तुत किया था और **अब चूंकि प्रार्थी बैंक इस प्रकरण में आगे किसी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं चाहते है अर्थात नॉट प्रैस करते है। इस आशय का लिखित प्रार्थना पत्र प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता ने पेश किया है, जो पत्रावली में उपलब्ध है। इसलिए इस प्रकरण को इसी आधार पर खारिज करना उचित होगा।**

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक द्वारा वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की **धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना खारिज किया जाता है।** आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ्तर हो। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 10.07.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.07.21 17:26:08 IST
Reason: SelfAttested

(सौरभ स्वामी)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर